न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–141/2023 विविध(धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

एयू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड पंजिकृत कार्यालय–19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

––प्रार्थी

बनाम

1. नियाज मौहम्मद पुत्र श्री पुनू खान जाति मुसलमान पता–वार्ड नं 07, सरकारी स्कूल के पास, पो0 हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ एवं नियाज मौहम्मद पता– पट्टा सं0 2, वार्ड नं0 7, ग्राम पंचायत हांसलिया,वीपीओ बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––मूल ऋणी, बंधकग्रहिता

2. मरजीना बेगम पत्नी नियाज मौहम्मद जाति मुसलमान पता–वार्ड नं 07, सरकारी स्कूल के पास, हांसलिया, 2 एलकेएस, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––सहऋणी

3. उम्मेद खान पुत्र श्री पुनू खान जाति मुसलमान पता– वार्ड नं 07, सरकारी स्कूल के पास, हांसलिया, 2 एलकेएस, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––प्रतिभू

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश दिनांकः–26.06.2024

प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी मनोज कुमार शाखा हनुमानगढ़ की ओर से श्री पराग जैन वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.04.2019 को 'लोन एग्रीमेन्ट' सं0 L9001060117392742 के तहत 3,00,000/–रूपये का ऋण प्रार्थी बैंक से लिया था। ग्राम पंचायत हांसलिया पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ द्वारा एक रिहायशी प्रयोजन के लिए भूमि पट्टा विलेख सं0 2 दिनांक 20.02.2019 पैमाईशी 2900 वर्गफुट यानि 322.22 वर्गगज है जो कि नियाज मोहम्मद पुत्र श्री पुनू खां जाति मुसलमान साकिन गांव हांसलिया पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारी किया गया हैं। उक्त रिहायशी भूखण्ड का पट्टा उप–पंजीयक गोलूवाला के समक्ष दिनांक 19.03.2019 को नियाज मोहम्मद पुत्र श्री पुनू खां द्वारा पंजीकृत किया गया। ग्राम पंचायत हांसलिया द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नियाज मोहम्मद पुत्र श्री पुनू खां के पक्ष में दिनांक 29.04.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार नियाज मोहम्मद पुत्र श्री पुनू खां जाति मुसलमान साकिन वार्ड नं0 07, हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ उक्त भूखण्ड पैमाईशी 2900 वर्गफुट यानि 322.22 वर्गगज का एकल स्वामी है। अप्रार्थीगण ने उक्त दस्तावेजात को प्रार्थी बैंक के पास रहन/बंधक/आडमान किया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:22:01 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 01.06.2023 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी के खाता में बकाया राशि 4,05,839/–रूपये (अखरे चार लाख पांच हजार आठ सौ उन्तालिस रूपये) बकाया रकम, ब्याज, शारितयॉं व अन्य खर्चे दिनांक 06.06.2023 तक शेष व देय निकलते हैं और इस राशि का भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने दिनांक 07.06.2023 को उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस को दिनांक 10.06.2023 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया। प्रार्थी बैंक ने उक्त नोटिस की सूचना समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस, दैनिक नवज्योति' में दिनांक 19.07.2023 को जारी की थी। उक्त सूचनाओं की समाप्ति के 60 दिवस तक अप्रार्थीगण ने देय राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं किया ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब प्रेषित किया एवं ना ही किसी प्रकार का सम्पर्क साधने की कोशिश की।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी सम्पत्ति ग्राम पंचायत हांसलिया पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ द्वारा एक रिहायशी प्रयोजन के लिए भूमि पट्टा विलेख सं0 2 दिनांक 20.02.2019 पैमाईशी 2900 वर्गफुट यानि 322.22 वर्गगज है जो कि नियाज मोहम्मद पुत्र श्री पुनू खां जाति मुसलमान साकिन गांव हांसलिया पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के नाम से जारीशुदा है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.10.10 11:22:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़